आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 623/2025 अनवान ***पेपीदेवी बनाम अशोक राठौड़ वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.25	पत्रावली बाद जांच कार्यालय रिपोर्ट पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित, जिन्हें क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर सुना गया एवं अपील व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा निर्णय नजीर RRD 1989 पेज नं0 266–68, RRD 1989 पेज नं 343–45 का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट ने अपीलाधीन ना0क0 में 'बेचान दस्तावेज' के आधार पर स्वीकृत किये जाने का उल्लेख होने से उक्त विवादित ना0क0 के विरूद्ध, संलग्न निर्णय नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार, आरएलआर एक्ट की धारा 75(1)(एफ/च) के तहत इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को होने का कथन कर, उक्त अपील दर्ज करने का आग्रह किया गया। जबकि अपीलाधीन ना0क0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त ना0क0 में हल्का पटवारी की रिपोर्टः श्रीमानजी मुताबिक पंजीकृत विकय लेख के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है, का उल्लेख है, जिसमें आरएलआर की धारा 135(2) के तहत पारित आदेश अथवा स्पीकिंग आदेश की पालना में दर्ज करने का कोई उल्लेख नही है और न ही अपील के साथ ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त ना0क0 धारा 135(2) के तहत रिमाण्ड/सुनवाई प्रकरण में पारित आदेश की पालना में पारित किया गया है। फलतः प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार से परे होने के कारण वकील अपीलांट कं सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाने का कहा गया।	

वकील अपीलांट द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पुनः बहस एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.25 मुकरर्र की गई।

26.11.25 वकील अपीलांट उपस्थित, जिन्होने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस के साथ माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपील/एल.आर./399/2020/बाडमेर में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2020, आरआरटी 2016(1) पेज नं0 726–28, आरआरटी 2010(2) पेज नं0 1322–23 व 614–16, आरआरटी 2004(1) पेज नं0 380–84 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

दौरान बहस वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि विवादित नामान्तरकरण तहसीलदार के आदेश के आधार पर स्वीकृत नही किया गया है। ना.क. के कॉलम नं0 14 से 16 में उल्लेख अनुसार विवादित बेचान के आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त अनवान की अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा विचाराधीन है, इस कारण सम्पति अंतरण की धारा 52 के तहत दावा विचाराधीन होते हुए सम्पति का अंतरण नही हो सकता है, अगर ऐसा हस्तांतरण हुआ है तो अवैध है। इस कारण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत ना0क0 स्पष्टया विवादित है। न्यायालय हाजा के समक्ष इसी कानूनी बिन्दु के आधार मा0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ पेश की गई है। अतः उक्त अपील दर्ज करने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट की अपील के श्रवणाधिकार पर बहस सुनी गई एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर उक्त अपील सरपंच (ग्रा0पं0झंवर) द्वारा ग्राम कडूम्बा नाडा के नामान्तरकरण संख्या 375 स्वीकृत दिनांक 24.09.25 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो हल्का पटवारी द्वारा पंजीबद्ध बेचान के आधार पर भरा गया है। उक्त ना0क0 में अन्य किसी आदेश का उल्लेख नही है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरे आरएलआर एक्ट की धारा 135 (2) में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण में पारित आदेश पर लागू होती है, जो इस मामले में चस्पा नही है।

जहां तक वकील अपीलांट द्वारा लिखित बहस में अभिकथित "कि उक्त ना0क0 तहसीलदार ने बेचान के आधार पर स्वीकृत किया है, उक्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में दावा विचाराधीन होने से उक्त हस्तान्तरण अवैध है व इस कारण स्वीकृत ना0क0 स्पष्टतया विवादित है तथा ना0क0 स्थगन आदेश होने के बाद स्वीकृत कर दिया गया" का प्रश्न है, वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचार योग्य है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा फार्म नं0 3 के बिन्दु सं0 4 में उल्लेखित आर्डर शीट दिनांक 12.4.12 से 20.9.12 तक की प्रस्तुत की गई, जिसमें वाद की विषयवस्तु/वर्तमान स्थिति ज्ञात नही है।

प्रकरण में न्यायिक मत है कि "म्यूटेशन की कार्यवाही एक पृथक कानूनी प्रकिया है, जिसे राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अधीन विचाराधीन दावे का आंशिक परिणाम नही माना जा सकता है।" अपीलाधीन ना0क0 भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से अथवा उनके द्वारा पारित किसी आदेश की पालना में अथवा उनके द्वारा स्वीकृत नही किया हुआ है। अतः उक्त अपील आरएलआर एक्ट की धारा 75(1) (एफ/च) के तहत इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है।

26/11/25

न्यायहित में गत सुनवाई दिनांक को उक्त अपील वकील अपीलांट को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटायी जाने हेतु कहा गया था, जिस पर उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर विवादित बेचान के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित विवादित म्युटेशन की प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष ही पेश होने का कथन किया गया। अतः इस स्थिति समग्र विवेचन के उपरांत प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में नही होने से, इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26-11-25 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, नम्बर से कम की जाकर, फैसल शुमार की जावे।

26/11/25

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर